

11.03.2022

# उपायुक्त का न्यायालय, दुमका

रे0मि0 अपील वाद सं0 53/2021—22

शंकर चन्द्र मोदी......अपीलकर्त्ता बनाम सहदेव दत्ता एवं अन्य.....उत्तरकारी।

यह रे0मि0 अपील वाद अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के पी0ए0 वाद सं0-79/2003-04 में पारित आदेश दिनांक-14.09.2021 के विरूद्ध में दायर किया गया है। अभिलेख में उपलब्ध तथ्य निम्न प्रकार है :--

मौजा-कारीकादर, अंचल-दुमका एक प्रधानी मौजा है। मौजा के पूर्व प्रधान नारायण दत्ता थे, जिनको पी०ई० वाद सं0—229 / 1933—34 आदेश दिनांक—16.04.1934 द्वारा वरखास्त किया जा चुका है। मौजा के प्रधान पद पर नियुक्ति हेतु अपीलकर्त्ता एवं अन्य द्वारा संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम के धारा-5 के अन्तर्गत दायर किया गया। अंचल अधिकारी, दुमका से जमाबंदी रैयतों की सूची प्राप्त की गई एवं आदेश दिनांक-08.10.2009 द्वारा बबलु दत्ता को प्रधान पद पर नियुक्त किया गया। इस आदेश के विरूद्ध में उपायुक्त के न्यायालय में रे0मि0 अपील वाद सं0-77/2009-10 दायर किया गया। इस अपील वाद में दिनांक-26.07.2011 को आदेश पारित किया गया एवं पुनः अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका को पूर्नविचारार्थ प्रति प्रेषित किया गया। पुर्नविचारार्थ के आलोक में पुनः कार्रवाई प्रारंभ करते हुए अंचल अधिकारी, दुमका से जमाबंदी रैयतों की सूची प्राप्त की गई एवं मतदान कराया गया, जिसमें उत्तरकारी को 25 रैयतों में से 18 रैयतों की सहमति प्राप्त हुई एवं उन्हें मौजा का प्रधान पद पर नियुक्त किया गया। इसी आदेश के विरूद्ध में यह अपील वाद

### अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क निम्न प्रकार है :--

दायर किया गया है।

 प्रधान नियुक्ति में संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम के धारा–5 एवं संथाल परगना कास्तकारी (रूल्स) 1950 के रूल 10 एवं 13 का अनुपालन नहीं किया गया है।

- जमाबंदी रैयत (मतदान) का सही पहचान एवं उनका हस्ताक्षर का सत्यापन नहीं किया गया है।
- अपीलकर्त्ता को अंतिम सुनवाई के लिए मौका नहीं दिया गया।
- अनुमंडल पदाधिकारी का आदेश नियमानुकूल नहीं है।
  अतः इसे विलोपित करते हुए अपील आवेदन को स्वीकृत किया जाय।

#### प्रावधान

Sec-5 Appointment of village headman of a khas village. On the application of a raiyat or of landlord of any khas village and with the consent of at least two-thirds of the jamabandi raiyats of the village ascertained in the manner prescribed, the Deputy Commissioner may declare that a headman shall be appointed for the village and shall then proceed to make the appointment in the prescribed manner.

Rules regarding the manner of ascertaining the consent of jamabandi raiyats and appointment of headman under Section 5.- (1) On receipt of an application from a raiyat or a landlord under Section 5, the Deputy Commissioner shall issue notice to the *jamabandi raiyats* of the village and to the landlord in Form A.

(2) The Consent of atleast two-thirds of the persons recorded as *jamabandi raiyats* of the village shall be ascertained by the Deputy Commissioner by show of hands:

Provided that if on the date so fixed at least two-thirds of the persons recorded as *jamabandi raiyats* of the village fail to be present the Deputy Commissioner shall fix another date and issue fresh notices in the manner prescribed in sub-rules 3(1), if on the date so fixed, at least two-third of the persons recorded as *jamabandi raiyats* again fail to be present the Deputy Commissioner shall summarily reject the application made under Section- 5.

- (3) The decision of the Deputy Commissioner as to whether a person is entitled to vote or not shall be final.
- (4) If at least two-third of the persons recorded as jamabandi raiyats give their consent for appointment of headman for the village, the Deputy Commissioner shall at once invite nomination for the appointment of headman and proceed to make the appointment.
- (5) In making the appointments of headman under Section 5 or Section 6 the Deputy Commissioner shall, as far as possible, follow the rules prescribed in Schedule V except where these rules, expressly or by necessary implication, provide otherwise.

Rule-10: Rules Regarding the manner of the publication of the general notice referred to in sub-section (2) of Section 44.-(1) The general notice shall be served by proclamation by beat of drum in the village concerned and affixing a copy thereof in some conspicuous place in the village in presence of not less than two persons.

Rule-13:- (5) The Deputy Commissioner shall record in brief the Statement of any party or witness to any proceeding under the Act.

### निष्कर्ष

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुनने, अभिलेख में उपलब्ध कागजात एवं अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका द्वारा पारित आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि पुर्नविचार हेतु प्राप्ति आदेश के पश्चात् अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका से जमाबंदी रैयतों की सूची प्राप्त की गई एवं पक्षकारों को नोटिश निर्गत किया गया। मौजा के रैयतों के सूची के आधार पर मतदान कराया गया किन्तु सूची प्राप्ति के पश्चात् 16 आना रैयतों को विधिवत ढोल सोहरत के साथ नोटिश का तामिला नहीं कराया गया है। संथाल परगना कास्तकारी (रूल्स) 1950 का अनुपालन नहीं किया गया है। फलस्वरूप अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश नियमानुकूल प्रतीत नहीं होता है एवं पूर्नविचार के योग्य है। सत्यापित Voter List के आधार पर Quorum पूरा करते हुए निर्णय नहीं लिया गया है।



# आदेश

उल्लेखित तथ्यों एवं प्रावधानों के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश को विलोपित किया जाता है तथा अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका को इस आदेश के साथ पुर्नविचारार्थ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि नियमों का पूर्ण रूपेन पालन करते हुए मौजा का प्रधान नियुक्त किया जाय। लेखापित एवं संशोधित

हिपायुक्त, दुमका। र्पायुक्त, दुमका। 17970 14912